सत्यमेव जयते

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू (चूरू)

(पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील कुमार–I आर.ए.एस.)

वाद संख्याः– 2023/144 दर्ज तिथिः–30.10.2023

1. बशीर खां पुत्र बारिस खां जाति कायमखानी निवासी झारिया तहसील व जिला चूरू (राज.)

–वादी–

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चूरू (राज.)

–प्रतिवादी–

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः– श्री सुरेन्द्र राहड़
प्रतिवादीगणः– पैरोकार राज

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा– 88, 136
राजस्थान काश्तकारी अधि.–1955

निर्णय

वादीगण की ओर से दावा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अन्तर्गत धारा 88, 136 का पेश कर निवेदन किया कि कृषि भूमि खसरा नं. 232/13.5317 हैक्ट., 265/0.7588 हैक्ट. व 730/1.4290 हैक्ट. कुल किता 03 कुल तादादी 15.7195 हैक्ट. वाके रोही झारिया पटवार मण्डल झारिया तहसील व जिला चूरू (राज.) में स्थित चली आ रही है, जिसके वर्तमान खाता संख्या 193 है तथा पुराने खाता संख्या 187 है, जिसमें वादी का सम्पूर्ण हिस्सा है।

वादी के जायंदा पिता असगर खान है, असगर खान के भाई बारिश खां के वादी बचपन से ही वारिस खां के साथ रहता चला आ रहा है, बारिश खां के कोई भी संतान उत्पन्न नहीं हुई, बारिस खां के नाम एकल खातेदारी काश्तकारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 232/13.5317 हैक्ट., 265/0.7588 हैक्ट. व 730/1.4290 हैक्ट. कुल किता 03 कुल तादादी 15.7195 हैक्ट. वाके रोही झारिया पटवार मण्डल झारिया तहसील व जिला चूरू (राज.) के नाम चली आ रही है, बारिश खां के इंतकाल के बाद उक्त भूमि बसीर खां के नाम दर्ज हुई, राजस्व रिकॉर्ड में अमल दराम करते वक्त बशीर खां पुत्र असगर खां दर्ज हो गया, वादी के समस्त दस्तावेजों में बशीर खां पुत्र बारिश खां दर्ज है, इसलिये राजस्व रिकॉर्ड में असगर खां की जगह बारिश खां दर्ज किया जावें।

राजस्व रिकॉर्ड में वादी का वास्तविक नाम बशीर खां पुत्र बारिश खां है, जबकि राजस्व रिकॉर्ड में बशीर खां पुत्र असगर खां दर्ज हो गया है, जिसको राजस्व रिकॉर्ड में बशीर खां पुत्र बारिस खां जर्द किया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:15:10 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व रिकॉर्ड में नाम में त्रुटी होने से वादी को काफी हैरानी परेशानी हो रही है तथा अन्य सरकारी दस्तावेजात आधार कार्ड, पेनकार्ड व पासपोर्ट में वादी के पिता नाम वारिस खां है। नाम में त्रुटी होने की वजह से वादी को सरकारी व गैरसरकारी योजनाऐं लेने में काफी परेशानी हो रही है ना ही क्लेम आदि मिल पा रहा है। वादी ने नाम संशोधन हेतु हल्का पटवारी से सम्पर्क किया, तो हल्का पटवारी ने तहसीलदार, चूरू से नाम शुद्ध करवाने बाबत कहा, तो वादी ने तहसीलदार, चूरू से निवेदन किया पर तहसीलदार ने उक्त दावा नाम संशोधन बाबत अदालतवाला में करने का कहने पर दिनांक 01.09.2023 को वाद आधार प्राप्त हुआ व वागदत रकबा अदालतवाला के सुनवाई के अधिकार क्षेत्र में है।

नाम संशोधन से कोई क्षति होने का कोई अंदशा नहीं है एवं न्यायहित में इसे दुरूस्त किया जा सकता है, वादी ने दिनांक 01.09.2023 को प्रतिवादी को एक प्रार्थना–पत्र नाम में संशोधन करने बाबत दिया तो उन्होनें नाम में संशोधन नहीं करने व श्रीमानजी यहां दावा करने की कहने पर वाद कारण हासिल हुआ है। वादी उक्त कृषि का खातेदार काश्तकार होने से उन्हें वाद प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त है।

वादगत भूमि झारिया तहसील व जिला चूरू में स्थित है, जिसके संबंध में वाद सुनवाई का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को है। जो उचित न्यायशुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है।

अतः वादी का वाद मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद नीचे लिखे अनुसार डिक्री फरमाया जावे :–

(क) कृषि भूमि खसरा नम्बर 232/13.5317 हैक्ट., 265/0.7588 हैक्ट. व 730/1.4290 हैक्ट. कुल किता 03 कुल तादादी 15.7195 हैक्ट. वाके रोही झारिया पटवार मण्डल झारिया तहसील व जिला चूरू (राज.) में खातेदार बशीर खां पुत्र असगर खां की जगह बशीर खां पुत्र वारिस खां संशोधित किये जाने का आदेश व डिक्री बहक वादी जारी फरमायी जावें व प्रतिवादी को आदेश फरमाया जावे कि डिक्री अनुसार अमल दरामद राजस्व रिकॉर्ड कराया जावें।

(ख) अन्य अनुतोष हितकारी वादी हो या हो जावे, वो भी वादी को प्रदान फरमाया जावे। में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि है।

वादी की ओर से प्रस्तुत दावा न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये सम्मन प्रतिवादी की तलबी की गई प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से पैरोकार राज ने उपस्थित हुए। प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से जवाब दावा पेश किया गया कि वारिस खां ने बशीर खां को गोद लिया है। पैरोकार राज को हिदायत दी गई कि नाम दुरूस्ती बाबत सम्बन्धित पटवारी हल्का से रिपोर्ट लेकर प्रस्तुत करें जिस पर पैरोकार राज द्वारा पटवारी हल्का झारिया से रिपोर्ट लेकर पेश की गई जो शामिल पत्रावली की गई। वादी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। दौरान बहस वादीगण अधिवक्ता द्वारा दावे में अंकित बिन्दओं को मात्र दोहराते हुए हाल राजस्व रिकॉर्ड में गलत दर्ज नाम के कारण वादी को नापूर्ति योग्य नुकसान हो रहा है। वादीगणों के सही नाम दर्ज कर घोषणा किये जाने का [illegible] किया गया। अप्रार्थी को भी इस संबंध में कोई उज्र एतराज नहीं है।

मैंने प्रकरण में वादी के विद्वान [illegible] किया के अनुसार तहसीलदार चूरू की रिपोर्ट के अनुसार [illegible] गया हुआ है। असगर खां एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:15:10 IST
Reason: SelfAttested

वारिस खां अलग–अलग व्यक्ति हैं। अधिवक्ता वादी द्वारा दावे में कोई साक्ष्य व सबूत प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। वाद साक्ष्यों के अभाव में साबित नहीं होने के कारण डिक्री किया जाना उचित नहीं है।

निर्णय आज दिनांक 16.10.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील कुमार– I) RAS
उपखण्ड अधिकारी
चूरू (चूरू)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:15:10 IST
Reason: SelfAttested